P. 01

05222322540

15:50

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज,
लखनऊ-226024
टेलीफैक्स-2324025

दिनॉक: 29.01.2009

सी.पी./09/36/2008/एफ.सी./1745

सचिव,(वन)
एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में सहायक परिवहन कार्यालय एवं आटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु 1.00 हे0 वन भूमि
परिवहन विभाग को हस्तान्तरण।

क अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक का पत्रांक 250/1जी-2124 (देहरादून), देहरादून, दिनॉक 16/07/2008 ।

कृपया उपरोक्त विषय पर नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ने अपने पत्र 2215/1जी-2124 (देहरादून), देहरादून, दिनौक
का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत
स्वीकृति मांगी है।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 02.04.08 के माध्यम से अतिरिक्त सूचना मांगी गयी थी। नाभिक अधिकारी के
न्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी सूचना पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है, कि केन्द्र सरकार
राहून के अन्तर्गत ऋषिकेश में सहायक परिवहन कार्यालय एवं आटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु 1.00 हे0 वन भूमि का
विभाग को हस्तान्तरण एवं शून्य वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रस्तावित स्थल के आस पास पड़े रिक्त स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं रखरखा हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों का पुनर्वलोकन मान्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के द्वारा किया जा रहा है। अतः प्रयोक्ता अभिकरण से यह अन्डरटेकिंग भी ली जाए कि अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों मे बढ़ोत्तरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता अभिकरण बाध्य होगी।

भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-एफ0सी0 दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0-1594, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपकम), ब्लाक-11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 मे जमा कराया जाये।

उपरोक्त शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी तब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते

भवदीय,

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. वन महानिरीक्षक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003.
2. नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरा नगर [illegible], उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
4. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, (प्रशासन), ऋषिकेश, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली ।

(ऋतुराज सिंह)
उप वन संरक्षक(के.)

(21)

संख्याः–जी0आई0:– 2043 /7–1–2009–800(2042)/2007.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग

देहरादूनः दिनांक 28 मई, 2009.

विषयः– जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय एवं आटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु 1.00 हे0 वन भूमि का परिवहन विभाग को हस्तान्तरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः–3196/1जी–2124 (दे0दून) दिनांक 07–05–2007 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद–देहरादून के अन्तर्गत ऋषिकेश में सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय एवं आटोमेटिड टेस्टिंग लेन के निर्माण हेतु 1.00 हे0 वन भूमि का परिवहन विभाग को हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी/यू.सी.पी./09/36/2008/एफ.सी./114 दिनांक 04–05–2009 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तो पर प्रदान करते हैंः–

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
3. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगें और यदि उक्त व्यक्तियों द्वारा वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचायी जाती है, अथवा कोई क्षति पहुँचती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तदर्थ निर्धारित प्रतिकर, जो पूर्णतया अन्तिम एवं प्रयोक्ता एजेन्सी पर बाध्यकारी होगा, प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय होगा।
4. उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के उपयोग में तब तक बनी रहेगी, जब तक कि प्रयोक्ता एजेन्सी को उसकी उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता रहेगी। यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी, तो यथास्थिति उक्त भूमि अथवा उक्त भूमि का ऐसा भाग, जो प्रयोक्ता एजेन्सी के लिए आवश्यक न रहे, मूल विभाग को बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वापस हो जायेगी।
5. निर्माण कार्य शुरू करने से पहले वन विभाग के सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त की जायेगी।
6. वन विभाग तथा उसके अभिकर्ताओं को किसी भी समय जब वे आवश्यक समझें, हस्तान्तरित किये गये भूखण्ड पर प्रवेश करने व उसका निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यस्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं उसका रख–रखाव किया जायेगा।

(2)

9. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जनपद कार्य बल की संस्तुतियों एवं भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित योजना के निर्माण एवं तदुपरान्त रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।
11. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
12. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस–पास की भूमि से निर्माण में मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।
13. प्रयोक्ता एजेंसी से एकत्रित एन0पी0वी0 एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि को तदर्थ क्षतिपूरक वृक्षारोपण निधि प्रबन्ध एवं नियोजन एजेंसी (ad-hoc CAMPA) को स्थानान्तरित किया जायेगा।
14. प्रस्तावित परियोजना के लिए हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि पर प्रस्तावक विभाग के व्यय पर आर0सी0सी0 पिलरों से (फोर बियरिंग व बैक बियरिंग लेकर) सीमॉकन किया जायेगा व प्रभागीय स्तर पर वन भूमि हस्तान्तरण के अभिलेखों में भी अंकित किया जायेगा।
15. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न मलवे का निस्तारण डम्पिंग स्थल (Dumping sites) चयनित कर किया जायेगा व अपने व्यय पर डम्पिंग स्थल पुनर्वास पुर्नस्थापना कार्य किया जायेगा।

2. उक्त आदेश उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं0–104/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–1–1–2001, कार्यालय ज्ञाप सं0–110/26/प्र0स0–आ0व0ग्रा0वि0 दि0–4–1–2001 एवं उत्तराखण्ड शासन के वन एवं पर्यावरण विभाग की कार्यालय ज्ञाप संख्या:–314/7–1–2003–26 (37)/2003 दिनांक 27–8–2003 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

संख्या:–जी0आई0:– 2043 /7–1–2009–800(2042)/2007 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन सरंक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर–एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
7. सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), ऋषिकेष।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

11871
12
01/6/09